

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका संख्या-6/ज0गु0-101/2010- 285 दिनांक- 29/01/15

विषय: मे0 Punj Lloyd Ltd., Corporate Office-II, Industrial Area, Sector-32, Gurgawn-122001. Web- www.punjlyoyd.com को राज्य के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों/टोलों में समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ 100 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटन कार्य की एकरारनामा संख्या-SBD-01, वर्ष 2010-11 को विखंडित कर जमानत की राशि राज्यसात् करने, असमायोजित मोबलाईजेशन अग्रिम की वसूली एवं फर्म को काली सूची में डालने के संबंध में।

राज्य के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों/टोलों में समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ 100 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मे0 Punj Lloyd Ltd., Gurgaon को विभागीय पत्रांक-1078, दिनांक-01.04.2010 से कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया गया। तदनुसार फर्म द्वारा एकरारनामा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ के साथ किया गया जिसका एकरारनामा संख्या-SBD-01, वर्ष 2010-11 है।

उपरोक्त विभागीय पत्र संख्या-1078, दिनांक-01.04.2010 के अनुसार पत्र निर्गत की तिथि से योजना को पूर्ण करने की अवधि 12 माह थी, जो दिनांक-31.03.2011 को समाप्त हो चुकी है। फर्म से शपथ पत्र के साथ कार्य पूर्ण करने की अवधि विस्तारित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक-31.05.2014 तक इस शर्त के साथ विस्तारित की गयी थी कि विस्तारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। एकरारनामा के अनुसार योजना को पूर्ण कर 3 माह के ट्रायल रन के पश्चात 12 माह तक O&M का कार्य फर्म द्वारा किया जाना था।

योजना की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर फर्म के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा विभागीय स्तर पर की गयी। परंतु इसके भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति शुरूआती दौर से ही काफी धीमी रही है तथा माह अप्रैल, 2014 से कार्य लगभग बंद किये जाने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा फर्म को इस संबंध में पत्र लिखे गये एवं



स्मारित भी किये गये तथा समाचार पत्र के माध्यम से सूचना भी दी गयी। परन्तु, फर्म के द्वारा कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं लाया गया।

कार्य की प्रगति असंतोषजनक रहने के फलस्वरूप फर्म को विभागीय पत्रांक-2369, दिनांक-09.12.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

विभाग द्वारा पूछे गये उक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में बिन्दुवार जबाब नहीं देकर फर्म अपने पत्रांक-PLL/PHED/EIC/116, दिनांक-22.12.2014 जो विभाग में दिनांक-07.01.15 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें एकरारित अवधि में 19 अदद तथा विस्तारित अवधि में 46 अदद यानि कुल 65 अदद स्थल निर्गत हुए तथा 35 स्थल अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि 10 अदद स्थलों पर बोरिंग असफल हो गया है तथा 35 स्थलों पर कार्य पूर्ण किया गया है एवं 27 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया है कि 3 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ करना है। फर्म के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा एकरारनामा का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं वे पूरी योजना पूर्ण कराना चाहते हैं, यदि उन्हें अवशेष सभी कार्य स्थल दिया जाए, समयवृद्धि भी दिया जाए, आपसी समझौता के तहत कार्य पूर्ण करने का समय सीमा दिया जाए एवं सभी देय भुगतान किया जाने के उपरांत ही कार्य करने की बात कही गयी है। फर्म द्वारा फिर से अतिरिक्त वित्तीय प्रस्ताव दिये जाने की बात भी कही गयी है।

फर्म का उपरोक्त कथन स्वीकारयोग्य नहीं है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार एकरारित लक्ष्य 100 अदद के विरुद्ध एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक की अवधि में 85 तथा विस्तारित समयावधि में 14 यानि कुल 99 स्थल आवंटित किये गये। फर्म के द्वारा अबतक एकरारित अवधि में 23 एवं विस्तारित अवधि में 13 यानि कुल 36 स्थलों पर कार्य पूर्ण किया गया तथा 24 स्थलों पर योजनाएँ अपूर्ण स्थिति में एक लंबे अरसे से है। शेष 39 अदद आवंटित स्थलों पर कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। योजना की प्रगति में अपेक्षित गति लाने के संबंध में ना तो फर्म द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव और ना ही कार्य योजना ही समर्पित की गयी है, जो कार्य के प्रति फर्म की लापरवाही एवं अभिरूचि नहीं लेने का द्योतक है।

फर्म के द्वारा अपने जबाब में कंडिका-F के उप कंडिका-1 से 6 तक में दिये गये संख्या को अगर जोड़ा जाए तो यह स्थलों की कुल संख्या 75 होता है जबकि फर्म के द्वारा कंडिका-F-2 में संख्या 65 स्थल विभाग द्वारा दिये जाने का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि फर्म ने अपने जबाब में गलत ढंग से तथ्य प्रस्तुत किया है।

कंडिका-6 में फर्म द्वारा रू0 1,44,33,402/- बकाया राशि के रूप में विभाग के पास लम्बित रहने की बात कही गयी है, जो भ्रामक है एवं स्वीकारयोग्य नहीं है। फर्म द्वारा कराये

